

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर

अपील एल0 आर0 एक्ट संख्या 321/2020/जिला भीलवाड़ा

पुरुषोत्तम पुत्र घनश्याम जाति मेड़तिया निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

.....अपीलांट

बनाम

1. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सी0बी0ई0ओ0 कार्यालय ब्लॉक बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

.....रेस्पोंडेण्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

एफ012-3(1)(बिजौलियां)(17)/आरए/2020/1805 दिनांक 02.07.2020

.....

उपस्थित अभि0:-श्री एम0एल0गुर्जर(अपीलांट अभि0)

श्री आकाश पारीक (रेस्पोंड अभि0)

निर्णय

दिनांक:-30.09.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा के आराजी खसरा नम्बर 238 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा किस्म बंजर भूमि संवत 2047-65 तक रतनलाल पुत्र राजमल जाति महाजन निवासी बिजौलियां के कब्जेकाशत में रही। रतनलाल के वृद्ध होने से उक्त भूमि इसके द्वारा अपीलांट को संभला दी गई है। इसके पश्चात संवत 2066-69 अपीलांट भूमि पर काबिजकाशत है। संवत 2047 से पैनल्टी की राशि निरंतर रूप से राजकोष में जमा करवायी जा रही है। पी-14 भी अपीलांट के नाम पर दर्ज है। अतः अपीलांट नियमन का पात्र है तथा उसके द्वारा तहसीलदार के समक्ष दिनांक 22.10.2011 को भूमि के नियमन हेतु प्रार्थना की मगर उनके द्वारा मना किया है।

अपीलांट द्वारा एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां के न्यायालय में रेस्पोंड संख्या 2 के विरुद्ध धारा 88 आरटीए के तहत प्रस्तुत किया था। उक्त वादपत्र में तनकीयात कायम हो चुकी थी। इस दौरान रेस्पोंड 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर वाद को उसी स्टेज पर खारिज करने हेतु निवेदन किया गया था।

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां ने दिनांक 26.07.2017 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार करते हुए अपीलांट का वादपत्र खारिज कर दिया। अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां के विरुद्ध एक

अपील(321/2017) आरएए न्यायालय भीलवाड़ा में दायर की गई है, जो विचाराधीन है।

अपील कार्यवाही के दौरान दिनांक 02.07.2020 को जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां के प्रस्ताव के अनुसार विवादित भूमि खसरा नम्बर 238 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा में से 1 बीघा भूमि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिजौलियां हेतु आवंटित कर दी। अतः 1963 नियम के अन्तर्गत आवंटित कर दी गई। उक्त आदेश से व्यथित होकर वर्तमान अपील प्रस्तुत कर दी गई—

1. वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जाकाश्त है।
2. रेस्पों 2 व उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां को जानकारी होने के बावजूद आवंटन हेतु प्रस्ताव भेजा गया है।
3. अपीलांट नियमन का पात्र है।
4. वाद विचाराधीन होने के उपरांत भूमि हस्तान्तरित या आवंटित नहीं की जा सकती है।
5. भूमि खाली नहीं थी, हमारा कब्जा था।

अतः अपील स्वीकार करते हुए जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 02.07.2020 को निरस्त किया जाये।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 96 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पों 0 को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब कर प्राप्त किया गया। रेस्पों 0 द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया।

रेस्पों 0 1 द्वारा जवाब में प्रारंभिक आपत्ति में बताया कि अपीलांट व्यथित पक्षकार नहीं है। साथ ही अपीलांट एक अतिक्रमी की हैसियत ही रखता है तथा भूमि अब रेस्पों 0 1 को दिनांक 17.09.2020 को सुपुर्द कर दी गई है। जिला कलक्टर द्वारा नियमानुसार आवंटन किया गया है। अपील खारिज की जायें। धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर जवाब देते हुए रेस्पों 0 1 ने बताया कि अपीलांट व्यथित पक्षकार नहीं है तथा उसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी खारिज किया जायें।

बहस उभय पक्ष अभिभाषक सुनी गई।

बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि विवादित खसरा नम्बर 238 का रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा है। भूमि ग्राम बिजौलियां में स्थित है। 1 बीघा भूमि हमारे कब्जेकाश्त में है। सन् 2020 में दिनांक 02.07.2020 को उक्त भूमि कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के नाम जिला कलक्टर द्वारा एल0आर0एक्ट की धारा 92 के तहत सैट-ए-पार्ट की गई है। हम व्यथित पक्षकार हैं। धारा 96 सीपीसी में प्रार्थना पत्र दिया है। इसी भूमि बाबत एक दावा उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां में दायर करवाया था। जिसमें ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र

पर सुनवाई करने के बाद उक्त दावा दिनांक 26.07.2017 को खारिज कर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध एक अपील आरएए भीलवाड़ा के यहां विचाराधीन है।

वकील रेस्पो0 ने बहस में बताया कि जवाब ही बहस माना जायें। भूमि राजकीय भूमि है। तथा राजकीय भूमि को विधिवत् तरीके से राजकीय संस्था को आवंटित की गई है। अपीलांट का पूर्व दावा आदेश 7 नियम 11 में खारिज किया हुआ है। अपीलांट के अधिकार तय नहीं हुए हैं। कब्जा भी हो तो भी उसे अतिक्रमी मानते हुए भूमि को अनाधिवासीत मानते हुए आवंटन किया जा सकता है। अपीलांट व्यथित पक्षकार नहीं है। अपील मीमौ के आरंभ में आदेश का गलत अंकन और अनुतोष गलत अंकन किया है। आदेश क्रमांक का अंकन नहीं है। अपील खारिज की जायें। रेस्पो0 द्वारा बहस के दौरान निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं—

1. 2020(1) आरआरटी पेज 407:—उक्त प्रकरण में विवादित भूमि रिकोर्ड में सिवायचक दर्ज थी तथा अतिक्रमण हटाया जाकर खाली भूमि का आवंटन किया गया था। भूमि के आवंटन के आदेश को उचित माना गया।
2. 2020(1) आरआरटी पेज 246:—उक्त प्रकरण में यह माना गया कि आवंटन के समय भूमि राजकीय भूमि थी तथा अपीलांट की हैसियत अतिक्रमी से ज्यादा नहीं है और खाली भूमि अलॉट की गई है। अपीलांट की अपील इस प्रकरण में खारिज की गई है।
3. 2018–19(सुपलीमेन्ट्र) आरआरटी पेज 118:—उक्त प्रकरण में अपीलांट अतिक्रमी था तथा नियमन को अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है तथा अपीलांट को व्यथित पक्षकार न मानते हुए अपील खारिज की जायें।
4. 2018–19(सुपलीमेन्ट्र) आरआरटी पेज 206:—इस प्रकरण में अप्रार्थी नम्बर 1 को व्यथित पक्षकार नहीं माना गया(एग्रीमेंट के आधार पर) तथा आदेश खारिज किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेज साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। जिला कलक्टर द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 02.07.2020 रेस्पो0 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी, रेस्पो0 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब स्थगन आदेश मय शपथ पत्र, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बिजौलियां का पत्र दिनांक 12.03.2020 मौका पर्चा दिनांक 24.05.2020 तहसीलदार का पत्र दिनांक 03.06.2020 उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां का प्रस्ताव दिनांक 04.06.2020 नक्शाट्रेस विवादित खसरा नम्बरान और सैट-ए-पार्ट भूमि जमाबंदी संवत् 2075–78 ग्राम बिजौलियां भूमि आवंटन बाबत चैक लिस्ट का अवलोकन किया गया। मौकापर्चा दिनांक 24.05.2020 का अवलोकन किया गया। उक्त मौकापर्चा तहसीलदार बिजौलियां के पत्र दिनांक 12.03.2020 की पालना में बनाया गया है। मौका पर्चा के अनुसार उक्त भूमि बिजौलियां से जावदा रास्ते पर राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय के उत्तर दिशा में स्थित है तथा प्रस्तावित भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं है तथा अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। उक्त मौकापर्चा के

पैरा 6 में लिखा है कि यदि उक्त खसरा नम्बर 238 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा में से 1 बीघा भूमि सी0बी0ई0ओ0 कार्यालय ब्लॉक बिजौलियां के लिये आवंटित की जाती है तो कोई सार्वजनिक आपत्ति नहीं है। इसी मौका पर्चा रिपोर्ट के आधार पर पहले तहसीलदार द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां को भेजी गई है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा जो बाद में आवंटन प्रस्ताव जिला कलक्टर भीलवाड़ा को प्रेषित किया गया है। जिसके आधार पर आवंटन की कार्यवाही की गई। आवंटन हेतु निर्धारित चैक लिस्ट के बिन्दु नम्बर 19 पर किसी प्रकार का अतिक्रमण होना नहीं बताया है।

जिला कलक्टर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2020 का अवलोकन किया गया। उनके द्वारा यह आदेश राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, स्कूल, कॉलेज, धर्मशालाओं एवं अन्य जनोपयोगी हेतु सरकारी भूमि का आवंटन नियम 1963 के तहत किया गया है। उक्त नियम का अवलोकन किया गया। उक्त नियम के क्लोज 2 में अधिकतम एरिया जो आवंटित किया जा सकता है का उल्लेख है। इस क्लोज के एल-उपनियम में राजकीय कार्यालय भवन हेतु 2 एकड़ भूमि हेतु आवंटन करने का उल्लेख है तथा क्लोज 4 में कौन आवंटन करेगा इसका उल्लेख है। क्लोज 4 के उपबंध 2 में उपाबंध एल का उल्लेख है। जिस हेतु कलक्टर 2 एकड़ भूमि तक आवंटन कर सकते हैं का उल्लेख किया हुआ है।

प्रस्तुत प्रकरण में आवंटन रिपोर्ट दस्तावेज चैक लिस्ट रिपोर्ट में दस्तावेज प्रकरण में किसी का भी आवंटित भूमि पर अतिक्रमण होना नहीं बताया है तथा उचित प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद ही जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा सुसंगत नियम एवं उपाबंधों के तहत भूमि को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय हेतु एक बीघा भूमि आवंटित की गई।

सर्वप्रथम अपीलांत द्वारा प्रस्तुत 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को देखा गया। अपीलांत अपने आप को विवादित भूमि हेतु कब्जेकाश्त में बताते हुए पाया है। साथ ही उसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए के तहत प्रस्तुत किया था। जिसे आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया जा चुका है। मगर उसके द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध अपील आरएए भीलवाड़ा में की गई है जो विचारणीय है। रेस्पो0 1 द्वारा अपीलांत को व्यथित पक्षकार नहीं माना गया। न्यायालय का यह मानना है कि अपीलांत उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां के समक्ष विचाराधीन वाद कार्यों में तथा आरएए भीलवाड़ा के समक्ष विचाराधीन अपील कार्यों में पक्षकार है। अतः वर्तमान प्रकरण में भी उसे व्यथित पक्षकार माना जा सकता है। क्योंकि विवादित भूमि एक ही है। अतः अपीलांत का प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2020 का है तथा अपीलांत द्वारा दिनांक 04.08.2020 को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर दी गई है। अतः अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील को मियाद अवधि में माना जायेगा। अतः अपीलांत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

अपीलांत द्वारा न्यायालय आरएए भीलवाड़ा में दायर अपील 321/2017 ऑर्डरशीट दिनांक 24.10.2017 से दिनांक 15.07.2020 के अवलोकन से स्पष्ट है कि

अपील विचाराधीन है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत पी-14 के दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पी-14 संवत् 2066 (वर्ष 2009) फसल खरीफ हेतु कॉलम नम्बर 3 में अपीलांट का नाम दर्ज है तथा कोई फसल काशत किया जाना नहीं बताया है। भूमि पड़त बताई गई है। पी-14 संवत् 2067(वर्ष 2010) के अनुसार अपीलांट के नाम के आगे कॉलम नम्बर 9 में रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा अंकित है। भूमि पड़त बतायी गई है। कोई फसल काशत नहीं बताई गई है। पी-14 संवत् 2068 वर्ष 2012-13 कॉलम नम्बर 4 में पत्थर का स्टॉक बताया गया है और कॉलम नम्बर 9 में 6 बीघा 10 बिस्वा दर्ज है। पी-14 संवत् 2070(वर्ष 2013-14) के कॉलम नम्बर 4 में 6 बीघा भूमि दर्ज है। कॉलम नम्बर 9 में 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि दर्ज है। पी-14 संवत् 2071(वर्ष 2014-15) कॉलम नम्बर 4 पड़त कोट तथा कॉलम नम्बर 9 में 6 बीघा 10 बिस्वा दर्ज है। पी-14 संवत् 2072 वर्ष 2015-16 कॉलम नम्बर 4 पड़त तथा कॉलम नम्बर 9 में 6 बीघा 10 बिस्वा दर्ज है। पी-14 संवत् 2073 सन् 2016-17 कॉलम नम्बर 4 पड़त तथा कॉलम नम्बर 9 में 6 बीघा 10 बिस्वा था।

अपीलांट अपने आप को नियमन का पात्र बताता है तथा यह भी कथन करता है कि उसके द्वारा नियमन हेतु एक प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया गया था मगर ऐसे कोई दस्तावेज की प्रमाणित प्रति उसके द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किये गये है। पी-14 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा कोई फसल काशत करना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में किस प्रकार नियमन का लाभ ले सकता है स्पष्ट नहीं है। अपीलांट की हैसियत एक अतिक्रमी की है। उनसे लाभ नहीं दिया जा सकता है। नियमन एक पृथक प्रशासनिक कार्यवाही है। साथ ही नियमन कोई अधिकार नहीं है।

पत्रावली के समग्र अवलोकन, बहस बिन्दुओं पर मनन, दस्तावेजों के विश्लेषण के बाद न्यायालय का यह मानना है कि जिला कलक्टर भीलवाड़ा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2020 उपखण्ड अधिकारी से उचित प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद प्रचलित नियम के तहत और क्षेत्राधिकार के तहत जारी किया जाना पाया जाता है। उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

न्यायालय रेस्पोंड 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से सहमत है। वर्तमान प्रकरण में उक्त न्यायिक दृष्टांत सही रूप से चस्पा होते हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा एफ012-3(1)(बिजौलियां)(17)/आरए/2020/1805 दिनांक 02.07.2020 अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम स्कूल, कॉलेज, धर्मशालाओं एवं अन्य जनोपयोगी हेतु सरकारी भूमि आवंटन नियम 1963 में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। जिला कलक्टर का उक्त आदेश यथावत रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों

यह आदेश आज दिनांक 30.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर